रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229408
CG-DL-E-03092021-229408

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943
No. 499] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 613(अ).—केन्द्रीय सरकार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006 के नियम 6 के उप-नियम (3) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कोई व्यक्ति जिसने सदस्य के रूप में दो पदावधियों या अध्यक्ष के रूप में दो पदावधियों के लिए पद धारण किया है, वह सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुन: नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति जिसने –

(i) सदस्य के रूप में दो पदावधियों के लिए; या

(ii) सदस्य के रूप में एक पदावधि और अध्यक्ष के रूप में एक पदावधि के लिए,

पद धारण किया है, वह अध्यक्ष के रूप में एक और पदावधि के लिए पात्र होगा"

[फा. सं. 13/1/2021-सीडब्ल्यू-I]

प्रीती पंत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 450(अ), तारीख 31 जुलाई, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात, अधिसूचना सं. 517(अ), तारीख 29 जून, 2012 और 207(अ), तारीख 24 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2021

G.S.R. 613(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1), read with clause (a) to (d) of sub-section(2), of section 35 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006, namely:-

1 (1) These rules may be called the National Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the National Commission for Protection of Child Rights Rules,** 2006, in sub-rule (3) of rule 6 for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that a person who has held office for two terms as Member or two terms as Chairperson, shall not be eligible for re-nomination as a Member or Chairperson, as the case may be:

Provided further that a person who has held office-

(i) for two terms as Member; or

(ii) one term as a Member and one term as Chairperson,

shall be eligible for one more term as Chairperson"

[F. No. 13/1/2021-CW-I]

PREETI PANT, Jt. Secy.

NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 450 (E), dated 31st July, 2006 and subsequently amended vide notification numbers 517(E), dated 29th June, 2012 and 207(E), dated 24th March, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.03 22:16:02 +05'30'